रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266590
CG-DL-E-01102025-266590
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
No. 286] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

मामला सं. सीवीडी (ओआई) - 04/2025

विषय: बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/35/2025-डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान उनपर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'सीवीडी नियमावली' या 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) और ए.पी. मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन (एजेएमए) (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'आवेदक', 'आवेदक एसोसिएशन' कहा गया है) ने बांग्लादेश और नेपाल (जिन्हें आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के

आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगरपालिकाओं की सरकारें शामिल हैं और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' भी शामिल हैं, जहाँ ये उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमावली और विनियमावली तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

3. दिनांक 21 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी के अंतर्गत "जूट उत्पाद" के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जाँच शुरू की गई थी। विस्तृत जाँच के बाद, 20 अक्टूबर 2016 को पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की गई और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत इन्हें लागू किया गया और दिनांक 3 अप्रैल 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा इसमें और संशोधन किया गया। इसके बाद, बांग्लादेश से 'जूट सैकिंग क्लॉथ' ('जूट सैकिंग बैग' का एक अनंतिम चरण) के आयात के संबंध में दिनांक 20 मार्च 2018 की अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी के अंतर्गत एक परिवंचना-रोधी जाँच शुरू की गई। परिवंचना-रोधी जाँच के अंतिम जॉच परिणाम में अधिसूचना संख्या 7/3/2018- डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च 2019 के अंतर्गत सैकिंग बैग्स पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिसे वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2019- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 जून 2019 के अंतर्गत लागू किया।

4. एक निर्णायक समीक्षा जाँच की गई जिसमें अधिसूचना संख्या 7/09/2021-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर 2022 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिसे वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 33/2022 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 दिसंबर 2022 के अंतर्गत लागू किया। इसी जाँच में बांग्लादेश और नेपाल से आयातित वस्तुओं के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 7/11/2024, दिनांक 30 जून 2025 के अंतर्गत एक मध्यावधि समीक्षा जाँच शुरू की गई है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है जिसमें जूट धागा/सुतली (एकल, बहु-मुड़ा हुआ, या केबलयुक्त), जूट बोरी बैग और कपड़ा, तथा जूट हेसियन बैग और कपड़े शामिल हैं।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आयातित संबद्ध वस्तुएं भी शामिल हैं।

• खनिज तेल या वनस्पति तेल युक्त जूट उत्पाद, और

• जूट अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 2(9) के तहत बांग्लादेश सरकार द्वारा परिभाषित "विविध जूट उत्पाद", जिसमें कहा गया है कि "विविध जूट वस्तुओं" का अर्थ निर्धारित जूट वस्तुएँ हैं, अर्थात्: हेसियन, बोरी, कालीन बैकिंग कपड़ा, और छह काउंट तक के जियो-टेक्सटाइल और निर्दिष्ट काउंट का जूट धागा, ऐसे किसी भी सामान को छोड़कर जहाँ उत्पाद में जूट या जूट के कच्चे माल की न्यूनतम मात्रा निर्धारित मात्रा से कम हो; बशर्ते कि सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी मात्रा को बढ़ा या घटा सके।

7. उत्पाद के दायरे में विशेष रूप से कंबल, सजावटी कपड़े, फर्श कवरिंग, हाथ और शॉपिंग बैग, हस्तशिल्प, कालीन बैकिंग कपड़ा, भू-वस्त्र और अन्य उपहार नवीनता आइटम शामिल नहीं हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 53 और 63 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्षों 53071010, 53072000, 53101012, 53101013 और 63051040 के अंतर्गत आयातित होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद विवरण सभी परिस्थितियों में मान्य होगा।

9. आवेदकों ने प्रस्ताव दिया है कि चल रही मध्यावधि समीक्षा [सं. 7/11/2024-डीजीटीआर] में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए भी अपनाया जा सकता है।

सूत का प्रकार	सूत प्रकार के लिए पहला अंक	सूत का वज़न	वज़न के लिए दूसरा अंक
सैकिंग	1	14 पाउंड तक	A
		14 से अधिक और 20 पाउंड तक	B
		20 से अधिक और 24 पाउंड तक	C
		24 से अधिक और 28 पाउंड तक	D
		28 पाउंड से अधिक	E
हेसियन	2	8 पाउंड तक	A
		8 से अधिक और 12 पाउंड तक	B
		12 से अधिक और 16 पाउंड तक	C
		16 से अधिक और 20 पाउंड तक	D
		20 से अधिक और 24 पाउंड तक	E
		24 से अधिक और 28 पाउंड तक	F
सीबी	3	8 पाउंड तक	A
		8 से अधिक और 12 पाउंड तक	B
		12 से अधिक और 16 पाउंड तक	C
		16 से अधिक और 20 पाउंड तक	D
		20 से अधिक और 24 पाउंड तक	E
		24 से अधिक और 28 पाउंड तक	F
सीआरटी/सीआरएक्स	4	8 पाउंड तक	A
		8 से अधिक और 12 पाउंड तक	B
		12 से अधिक और 16 पाउंड तक	C
		16 से अधिक और 20 पाउंड तक	D
		20 से अधिक और 24 पाउंड तक	E
		24 से अधिक और 28 पाउंड तक	F
सीआरएम	5	8 पाउंड तक	A
		8 से अधिक और 12 पाउंड तक	B
		12 से अधिक और 16 पाउंड तक	C
		16 से अधिक और 20 पाउंड तक	D
		20 से अधिक और 24 पाउंड तक	E
		24 से अधिक और 28 पाउंड तक	F

ग. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु, जिस पर सब्सिडी दी जाती है और जिन्हें भारत में निर्यात किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

11. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश बांग्लादेश और नेपाल हैं।

ङ. <u>जाँच अवधि</u>

12. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 महीने) तक है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2021-मार्च 2022, अप्रैल 2022-मार्च 2023, अप्रैल 2023-मार्च 2024 और पीओआई की अवधि शामिल है।

च. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

13. यह आवेदन भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) और ए.पी. मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन (एजेएमए) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मेसर्स बोउरेह जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स चेविओट कंपनी लिमिटेड, मेसर्स ग्लोस्टर लिमिटेड, मेसर्स हुगली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड, मेसर्स नैहाटी जूट मिल्स और मेसर्स नीलम जूट कंपनी लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक कंपनियां" कहा गया है) ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अपेक्षित जानकारी प्रदान की है।

14. आवेदक कंपनियों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं। इस प्रकार, उपलब्ध सूचना के आधार पर और समुचित जांच के पश्चात, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियां कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" हैं। इस प्रकार, आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को भी पूरा करती हैं और आवेदन स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

छ. <u>कथित सब्सिडीकरण का आधार</u>

15. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश सरकार और नेपाल सरकार ने विभिन्न प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रम चलाए हैं। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि पर्याप्त साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि विषयगत वस्तुओं के निर्यातकों को सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों (एएससीएम) पर समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी प्राप्त हुई है, जो नीचे सूचीबद्ध है, जो लाभ प्रदान करती है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियम, 1995 के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं, और ऐसी सब्सिडी बांग्लादेश सरकार और नेपाल सरकार द्वारा प्रदान की गई थीं और संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों और उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ हुआ हो सकता है।

16. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को विषयगत देशों की सरकारों और/या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई अनेक सब्सिडी से लाभ हुआ होगा। घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी/कार्यक्रमों का आरोप लगाया गया है:

I. बांग्लादेश में सब्सिडी स्कीमें

क. <u>बांग्लादेश के निर्यात प्रसंस्करण जोनों में अभिज्ञात कार्यक्रम</u>

i. कार्यक्रम संख्या 1: लाभांश कर से छूट

ii. कार्यक्रम संख्या 2: पर्याप्त मूल्य से कम पर बिजली उपलब्ध कराना

iii. कार्यक्रम संख्या 3: त्वरित मूल्यह्रास

ख. <u>बांग्लादेश के आर्थिक जोनों में अभिज्ञात कार्यक्रम</u>

iv. कार्यक्रम संख्या 4: 10 वर्षीय कर अवकाश

v. कार्यक्रम संख्या 5: कच्ची सामग्री, निर्माण सामग्री आदि के आयात पर शुल्क में छूट

vi. कार्यक्रम संख्या 6: स्टाम्प शुल्क और भूमि पंजीकरण शुल्क में छूट

vii. कार्यक्रम संख्या 7: जोन के भीतर उपभोग की जाने वाली सुविधाओं पर वैट से छूट

ग. <u>अन्य सब्सिडी के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम</u>

viii. कार्यक्रम संख्या 8: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान।

ix. कार्यक्रम संख्या 9: 100% निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए पूंजीगत मशीनरी और पुर्जों के आयात पर आयात शुल्क और वैट से छूट।

x. कार्यक्रम संख्या 10: जूट उद्योग से जुड़ी कंपनियों के लिए कर की अधिमानी दर।

xi. कार्यक्रम संख्या 11- निर्यात ऋण सुविधाएँ।

xii. कार्यक्रम संख्या 12 - राष्ट्रीय जूट नीति- 2018 के अंतर्गत विभिन्न नीतियाँ।

II. नेपाल में सब्सिडी स्कीमें

i. कार्यक्रम संख्या 1: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान

ii. कार्यक्रम संख्या 2: जूट उद्योगों के लिए कर सब्सिडी

ज. <u>परामर्श</u>

17. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में, 1 सितंबर, 2025 को एक परामर्श बैठक निर्धारित करके परामर्श के लिए बांग्लादेश सरकार और नेपाल सरकार को आमंत्रित किया। नेपाल सरकार और बांग्लादेश सरकार ने उक्त परामर्श बैठक में भाग नहीं लिया। इस स्तर पर कथित कार्यक्रमों की गैर-प्रतिसंतुलनीयता के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, कथित कार्यक्रमों के अस्तित्व और सभी प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी के परिमाणीकरण का संबंधित नियमों के अनुसार एक जाँच के माध्यम से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। तथापि, प्राधिकारी जाँच के दौरान परामर्श के किसी भी अनुरोध पर विचार कर सकता है।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

18. आवेदक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर संबंधित देशों से संबद्ध आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित सब्सिडी के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप समग्र और सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात काफी मात्रा में हुआ। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास प्रभाव भी पड़ा है। संबद्ध देशों से सब्सिडी वाले निर्यातों के परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब हुआ है। इस प्रकार, आवेदक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया बांग्लादेश और नेपाल से कथित सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को दर्शाते हैं।

ञ. <u>प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जाँच की शुरूआत</u>

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी दिए जाने, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसी कथित सब्सिडी और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, तथा सीवीडी नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी भी कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की

सिफारिश करने के लिए जाँच की शुरूआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

20. वर्तमान जाँच में सीवीडी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यथा उल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. प्राधिकारी को समस्त पत्र ईमेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in, जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in, पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोधों का वर्णनात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट में और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो। ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिनकी फ़ाइलों को देखने के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता हो।

22. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से समस्त संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, सीवीडी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, सीवीडी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जाँच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ड. <u>समय सीमा</u>

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से निम्नलिखित ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार प्रेषित की गई थी। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आह्वान करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जिस दिन यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी सीवीडी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएँ और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

26. जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की माँग करता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय संस्करण अलग-अलग प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक विषयसूची तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें

संलग्न सभी भागों/ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु का उल्लेख हो। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या लिखना भी सुनिश्चित करें।

29. जहाँ मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहाँ हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही अनुवादित संस्करण भी उपलब्ध कराया जाए।

30. 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की एक प्रति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव न हो) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेपित किया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार को उचित रूप से समझा जा सके। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव न होने के कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ों के अगोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

33. किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या सीवीडी नियमावली के नियम 8 और गोपनीयता के दावे संबधी प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने लेने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष्ाकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्ष्ाकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें। प्रश्नावली के उत्तर या अन्य प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य इच्छुक पक्षों को प्रसारित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में गोपनीय आधार पर प्रस्तुतियां दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं प्रसारित किया जाना चाहिए। अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी भी हितबद्ध पक्ष्ाकार को असहयोगी माना जा सकता है।

त. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्ष्ाकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्ष्ाकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

Case No. CVD (OI) – 04/2025

Subject: Initiation of Countervailing Duty investigation concerning imports of "Jute Products" originating in or exported from Bangladesh and Nepal

F. No. 6/35/2025-DGTR.— 1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'CVD Rules' or 'Rules'), Indian Jute Mills Association (IJMA) and A.P. Mesta Twine Mills Association (AJMA) (hereinafter collectively referred to as the 'applicants', 'applicant associations') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of a countervailing duty investigation concerning imports of "Jute Products" (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as the 'subject countries')

2. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the governments of the subject countries, including the governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other 'public bodies'. The applicants have relied upon the relevant laws, rules, and regulations and other notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain.

A. BACKGROUND

3. An anti-dumping investigation into imports of "Jute Product" was initiated vide Notification No. 14/19/2015-DGAD, dated 21st October 2015. Following a detailed investigation, anti-dumping duties were recommended on 20th October 2016 and were implemented by the Ministry of Finance vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD) dated 05th January 2017 and amended further by Customs Notification No. 11/2017-Customs (ADD), dated 3rd April 2017. Subsequently, an anti-circumvention investigation was initiated vide Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 20th March 2018 concerning imports of 'jute sacking cloth', (a penultimate stage of "Jute Sacking Bag") from Bangladesh. Final findings in the anti-circumvention investigation recommended extension of the existing anti-dumping duty imposed on sacking bags vide Notification No. 7/3/2018- DGAD, dated 19th March 2019, which the Ministry of Finance implemented vide Custom Notification No. 24/2019- Customs (ADD), dated 18th June 2019.

4. A sunset review investigation was undertaken wherein extension of anti-dumping duty was recommended vide Notification No. 7/09/2021-DGTR dated 30th September 2022, which was implemented by the Ministry of Finance vide Notification No 33/2022 Customs (ADD) dated 30th December 2022. A mid-term review investigation has been initiated in the same investigation against the subject imports from Bangladesh and Nepal vide Notification No. 7/11/2024-DGTR dated 30th June 2025.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5. The *product* under consideration is "Jute products" comprising of Jute yarn/twine (single, multiple folded, or cabled), Jute sacking bags and cloth, and Jute hessian bags and fabrics.

6. It is clarified that the scope of the product under consideration also covers the subject goods when imported as

- Jute products containing mineral oil or vegetable oil, and

- "diversified jute product" as defined by the Government of Bangladesh under Article 2(9) of the Jute Act 2017, which states that *"Diversified jute goods" means the prescribed jute goods, namely: hessian, sacking, carpet backing cloth, and geo-textiles up to six counts and jute yarn of specified count, excluding any such goods where the minimum content of jute or jute raw material in the product is less than the prescribed portion; provided that the Government may, by notification in the official Gazette, increase or decrease such quantity.*

7. The product scope specifically excludes blanket, decorative fabrics, floor coverings, hand & shopping bags, handicrafts, carpet backing cloth, geo-textiles and other gift novelty items.

8. The product under consideration is classifiable under Chapter 53 and 63 of the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration is imported under sub-headings 53071010, 53072000, 53101012, 53101013, and 63051040. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration. It is clarified that the HS codes are only indicative, and the product description shall prevail in all circumstances.

9. The applicants have proposed that the PCN methodology adopted in the ongoing mid-term review [No. 7/11/2024-DGTR] may be adopted for the purpose of the present investigation as well.

Type of Yarn	**1st Digit for type of yarn**	**Weight of Yarn**	**2nd Digit for weight of yarn**
Sacking	1	Upto 14 LBS	A
		More than 14 LBS and upto 20 LBS	B
		More than 20 LBS and upto 24 LBS	C
		More than 24 LBS and upto 28 LBS	D
		More than 28 LBS	E
Hessian	2	Upto 8 LBS	A
		More than 8 LBS and upto 12 LBS	B
		More than 12 LBS and upto 16 LBS	C
		More than 16 LBS and upto 20 LBS	D
		More than 20 LBS and upto 24 LBS	E
		More than 24 LBS and upto 28 LBS	F
CB	3	Upto 8 LBS	A
		More than 8 LBS and upto 12 LBS	B
		More than 12 LBS and upto 16 LBS	C
		More than 16 LBS and upto 20 LBS	D
		More than 20 LBS and upto 24 LBS	E
		More than 24 LBS and upto 28 LBS	F
CRT/CRX	4	Upto 8 LBS	A
		More than 8 LBS and upto 12 LBS	B
		More than 12 LBS and upto 16 LBS	C
		More than 16 LBS and upto 20 LBS	D

		More than 20 LBS and upto 24 LBS	E
		More than 24 LBS and upto 28 LBS	F
CRM	5	Upto 8 LBS	A
		More than 8 LBS and upto 12 LBS	B
		More than 12 LBS and upto 16 LBS	C
		More than 16 LBS and upto 20 LBS	D
		More than 20 LBS and upto 24 LBS	E
		More than 24 LBS and upto 28 LBS	F

C. LIKE ARTICLE

10. The applicants have claimed that the subject goods, which are subsidized and exported to India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the product under consideration imported from the subject countries and the subject goods manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. SUBJECT COUNTRIES

11. The subject countries in the present investigation are Bangladesh and Nepal.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation (POI) for the present investigation is from April 2024 to March 2025 (12 months). The injury investigation period covers the period April 2021- March 2022, April 2022 - March 2023, April 2023 - March 2024, and the POI.

F. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

13. The application has been filed by Indian Jute Mills Association (IJMA) and A.P. Mesta Twine Mills Association (AJMA). M/s. Bowreah Jute Mills Pvt. Ltd., M/s. Caledonian Jute & Industries Ltd., M/s. Cheviot Company Ltd., M/s. Gloster Ltd., M/s. Hooghly Infrastructure Pvt. Ltd., M/s. Ludlow Jute & Specialities Ltd., M/s. Naihati Jute Mills, and M/s. Neelam Jute Co. Ltd. (referred to as "Applicant Companies" herein) have provided the requisite information for the purpose of the present investigation.

14. The Applicant companies have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India. Thus, on the basis of information available and after due examination, the Authority notes that the applicant companies constitute "a major proportion" of total Indian production. Thus, the applicant companies constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and also satisfy the criteria of the standing in terms of Rule 6(3) of the Rules and that the application satisfies the criteria of standing.

G. BASIS OF ALLEGED SUBSIDISATION

15. The applicants have alleged that the Government in Bangladesh and the Government in Nepal maintained various countervailable subsidy programs. The applicants have submitted that there is sufficient evidence showing that the exporters of the subject goods have received actionable subsidies, as per Article 1 of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), listed below, which provide a benefit. The

information provided by the applicants indicate *prima facie* that the below mentioned programs constitute actionable subsidies as per the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the Countervailing Duty Rules, 1995, that such subsidies were provided by the Government of Bangladesh and Government of Nepal and that the exporters and producers of the subject goods in the subject countries may have benefitted from these subsidies.

16. The *prima* facie evidence provided by the applicants shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject countries may have benefited from a number of subsidies granted by the Governments and/or other public bodies in the subject countries. The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:

I. SUBSIDY SCHEMES IN BANGLADESH

a. Identified Programs in Export Processing Zones in Bangladesh

i. Program No. 1: Exemption from Dividend Tax
ii. Program No. 2: Provision of Electricity at Less Than Adequate Remuneration
iii. Program No. 3: Accelerated Depreciation

b. Identified Programs in Economic Zones in Bangladesh

iv. Program No. 4: 10 year Tax Holiday
v. Program No. 5: Exemption of duty on import of raw material, construction material etc.
vi. Program No. 6: Exemption of Stamp Duty and land registration fee
vii. Program No. 7: Exemption of VAT on utilities consumed inside the zone

c. Identified Programs as other subsidies

viii. Program No. 8: Cash Grants on export of Jute products.
ix. Program No. 9: Exemption from Import Duty and VAT on importation of Capital machinery and spares for 100% export-oriented enterprises
x. Program No. 10: Preferential tax rate for companies that are in the jute industry
xi. Program No. 11- Export Credit Facilities
xii. Program No. 12 – Various policies under National Jute policy- 2018

II. SUBSIDY SCHEMES IN NEPAL

i. Program No. 1: Cash Grants on export of Jute products
ii. Program No. 2: Tax Subsidies for Jute industries

H. CONSULTATION

17. The Authority, in terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), invited the Government of Bangladesh and the Government of Nepal for consultation by scheduling a consultation meeting on 1st September, 2025. The Government of Nepal and Government of Bangladesh did not participate in the said consultation meeting. In the absence of any evidence regarding non-countervailability of the alleged programs at this stage, the existence of alleged programs and quantification of all the countervailable subsidies are required to be analysed through an investigation as per the relevant Rules. However, the Authority may consider any request for consultation during the course of the investigation.

I. INJURY AND CAUSAL LINK

18. Information furnished by the applicant companies has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of subject imports from the subject countries. The applicants have furnished

prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged subsidization and resulting in a significant volume of imports of the subject goods from the subject countries throughout the injury period in both absolute as well as relative terms. The applicants have claimed that the subject imports have also had a price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of cash profit, profits, and return on investment over the injury period, as a result of subsidized exports from the subject countries. Thus, the evidence provided by the applicant companies *prima facie* shows material injury to the domestic industry caused by the alleged subsidized imports from Bangladesh and Nepal.

J. INITIATION OF COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATION

19. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating subsidization of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidization and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the CVD Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of any alleged subsidization in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. PROCEDURE

20. Principles, as stated under Rule 7 of the CVD Rules shall be followed in the present investigation.

L. SUBMISSION OF INFORMATION

21. All the communications should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.

22. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

M. TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the CVD Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

N. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

27. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the CVD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response I submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.

29. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

O. INSPECTION OF PUBLIC FILE

36. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-

confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

P. NON-COOPERATION

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2020.10.01 23:05:47 +05'30'